तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी ए/4509/2003/चूरू प्रहलादराम बनाम गजानन्द व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस

एकलपीठ

श्री सतीश चन्द्र गोदारा, सदस्य

उपस्थित–

श्री माधवराज अभिभाषक प्रार्थी

श्री डूंगर सिंह अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक :08.02.2021

यह निगरानी उपखण्ड अधिकारी रतनगढ के आदेश दिनांक 2–12–2002 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

आक्षेपित आदेश के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी की ओर से रेकार्ड तलबी हेतु प्रार्थनापत्र को खारिज किया है।

उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि निगराकार अपने अभिभाषक के भरोसे पर रहा। चूँकि दस्तावेज धारा 212 की पत्रावली में लग गये हैं। दस्तावेजात पर गौर न कर अन्य पत्रावली में संलग्न कर दिए है इसलिए उन्हीं के न्यायालय की पत्रावली को तलब करना चाहा। उपखण्ड अधिकारी ने इसमें वादी द्वारा पेश दस्तावेजाता को तनकी बनने के बाद दिनांक 7–8–1996 को स्वीकार कर लिया ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र को खारिज करने का कोई औचित्य नहीं था। वादीगण ने उनके अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र एवं दावा खारिज

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी ए/4509/2003/चूरू प्रहलादराम बनाम गजानन्द व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस

होने के आदेश को चुनौती नहीं देकर नया दावा प्रस्तुत कर दिया इसलिए पूर्व पत्रावली अस्थाई निषेधाज्ञा एवं दावे को तलब करना वादी के कन्डक्ट को बताना जरूरी हो गया है। प्रार्थना पत्र कानूनी सलाह लेकर पेश किया गया है न्यायालय को तकनीकी आधार पर दण्डीत नहीं करना चाहिए था जब दस्तावेजात अधिनियम की धारा 212 की पत्रावली में पेश है उनके गलत होने की कोई आशंका नहीं है, नकल की नकल नहीं मिल सकती है इस कारण न्यायालय की पत्रावली को तलब करना जरूरी हो गया है। रिकार्ड तलबी के प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करने के लिए कोई मियाद निर्धारित नहीं है। ऐसी स्थिति में निगरानी स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी रतनगढ़ का आदेश दिनांक 2–12–2002 को निरस्त किया जाता है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जावे।

जबाब में अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि जब रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त की जा सकती है और वह साक्ष्य के रूप में ग्राहय है तो मूल पत्रावलीयां तलब किया जाना उचित नहीं मानते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है इसलिए निगरानी खारिज योग्य है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिस पत्रावली को प्रार्थी तलब करवाना चाहता है उक्त पत्रावली के सम्बधित दस्तावेज पत्रावली संख्या 30/93 में गजानन्द बनाम प्रहलाद में संलग्न होना जाहिर किया। स्वंय प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा दिनांक 23–12–1996 को एक प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी ए/4509/2003/चूरू प्रहलादराम बनाम गजानन्द व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस
	उक्त पत्रावली जिसका निस्तारण हो चुका है उसे इस पत्रावली के साथ संलग्न किया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल पत्रावली के साथ संलग्न करने का आदेश भी पारित कर दिया। इस प्रकार उक्त दस्तावेज मूल पत्रावली में संलग्न हो गए। इसलिए अब अन्य पत्रावली को तलब करने का कोई औचित्य नहीं है इसलिए यह निगरानी खारिज योग्य है। परिणामस्वरूप यह निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सतीश चन्द्र गोदारा) सदस्य	